मंदिरों की सजी दुकानें, सड़कों पर चलना हुआ दूभर

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के एन एच एक व दो नम्बर की विभाजक सड़क पर तिकोना मार्केट के एक किनारे पर वैष्णव देवी का अति भव्य मन्दिर बना है। वर्ष में 2 बार नवरात्रों के अवसर पर 9 दिन के लिये इसके सामने वाली एक तरफ़ की सड़क को बन्द करके मन्दिर कब्ज़ा कर लेता है जिससे दोनों ओर (आने-जाने) को यातायात एक ही सड़क पर रेंग-रेंग कर चलता है। इस मन्दिर की मोटी कमाई से प्रेरित हो कर एक अन्य गिरोह ने भी 30-40 कदम आगे चलकर सड़क किनारे ज़मीन कब्जा कर एक और मन्दिर खोल लिया। ग्राहक हो या ना हो लेकिन सड़क पर बेरिकेड लगा कर सड़क को बंद करना इस मन्दिर वाले भी नहीं भूले। आम लोगों पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिये इतना करना जरूरी भी है।

एक तरफ़ की सड़क बंद होने पर पुलिस ट्रैफ़िक को घुमा कर मन्दिर के पीछे से यानी तिकोना पार्क की आटो मार्केट में से निकाल दिया करती थी। परन्तु अब वहां भी अवैध वाहन पार्किंग ने सदाबहार जाम की स्थिति बना दी है। लेकिन दिनांक 26 मार्च को तो मन्दिर व पुलिस वालों ने मिल कर तो कमाल ही कर दिया। मंदिर ने एक पक्का बेरिकेड 2 नम्बर स्थित लड़कों के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल गेट के सामने ऐसा जोरदार लगाया कि साइकिल तो क्या कोई पैदल भी वहां से ऑटो मार्केट की ओर न जा सके। लोगों ने कुछ देर तो वहां तैनात 2 सिपाहियों से काफ़ी अनुनय-विनय की लेकिन जब वे नहीं माने तो जनता ने बेरिकेड उखाड़ कर फेंक दिये और सिपाही अपने अफ़सरों को फ़ोन करते रह गये। बाद में और पुलिस आई और जनता निकल गयी तो फ़िर से बेरिकेड लगा दिया गया। दुख की बात तो यह है कि मन्दिरों वाले बेरिकेड लगा कर सड़क घेरते हैं और पुलिस उसे खुलवाने की बजाय उनकी रखवाली करते हैं। शहर भर में इस तरह के ये ही दो मन्दिर नहीं हैं सड़क कब्जाने वाले और भी अनेकों हैं। अतिक्रमण करके सरकारी जगहों पर ये मन्दिर कैसे बने और लगातार बनते ही जा रहे हैं तथा इन मन्दिरों में होता क्या है, इस पर टीका-टिप्पणी न भी की जाय तो भी पुलिस एवं प्रशासन का इतना फ़र्ज तो बनता ही है कि कम से कम सड़कों पर आवागमन को तो सुचारू बना कर रखें। परन्तु अधिकारी भी क्या करें जब राजनेता खुद ही इस दुकानदारी में शामिल हों तो! जनता का धर्मांधता में डूबे रहना तमाम राजनेताओं को भी सुहाता है। वे भी चाहते हैं कि जनता अपने शोषण, भुखमरी व ग़रीबी के लिये सरकार एवं व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने की बजाय ऐसे धर्मस्थलों में ही मन्नतें मांगते रहें।

धर्मांधता फ़ैलाना ही कुछ लोग़ों का रोजगार है

हमारे देश के किसी भी शहर या गांव में सभी धर्मों के नाम पर चलाये जा रहे मंदिरों, मस्जिदों और गुरूद्वारों आदि की कोई कमी नहीं है। न ही वहां जाकर भक्ति में लीन होने वालों की, हालाकि वही देखा जाय तो इतनी संख्या विद्यालय, अस्पताल आदि की नहीं है। जितने धार्मिक स्थानों के निर्माण और पूजा-पाठ में खर्च के दौरान पंडितों-पुजारियों को दान-दक्षिणा में खर्च किये जाते हैं, उसी पैसे से अस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण हो तो सही मायने में यही धर्म है। जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास में भी उन्नत्ति होगी।

देखा जाय तो लोग इस बात से भी पूर्ण अंजान हैं कि उन्हें धर्म और पूजा के नाम पर ठगा जा रहा है। पंडे पूजारी उन्हें धोखा दे रहे हैं। कई बार भयंकर दुर्घटानाएं भी इन्हीं धर्मस्थलों पर उमड़ी भीड़ के चलते होती रहीं है।

2013 में महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद स्टेशन पर पुण्य लूटने के लिये भगदड़ मची थी, और सैंकड़ों लोग़ों की जान गई थी। उनका मानना यह है कि महाकुंभ में संगम स्नान करने पर स्वर्ग में टिकट बुक हो जायेगी। ऐसे ही धार्मिक स्थानों पर अधिकतम भगदड़ होती है और दुर्घटनाऐं होती है, और लोग बिना टिकट बुक कराए ही परलोक पहुंच जाते हैं। अब वह स्वर्ग पहुंचे या नहीं यह तो उन्हें ही पता होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर वापस आये नहीं जो लोगों को पता चले।

बिहार के नामी छठ पुजा में वहां की राजधानी पटना में ऐसी ही घटना घटी कि भगदड़ मच गई उसमें पुल टुटने से कितने लोगों की जान चली गई। एक के बाद एक होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के बावजूद लोग़ों में बनी आस्था और अंधविश्वास में कोई कमी नहीं आती है।

धर्म के अंधविश्वास को खत्म करना इसलिये भी आसान नहीं है क्योंकि, यह पंडे-पुजारियों, आदि का पेशा है। कोई भी अपने पेशे का अंत नहीं होने दे सकता। कुछ साधु-संतो के उदाहरण में देखा जाय तो आशाराम बापू काफ़ी ढोंगी और पाखंडी था, जो अभी दुष्कर्म के घटना में जेल की हवा खा रहा है। फ़िर भी लोग़ों के अन्दर से इस तरह के पाखंड क्यों न खत्म होता।

साल 2013 में आई फ़िल्म ओ माई गॉड में भी यह पूर्ण रूप से दिखाया गया है कि किस तरह धर्म के नाम पर साधु-संतों और पंडे-पुजारियों द्वारा लोग़ों को लुटा जा रहा है। यह शत प्रतिशत सत्य है अगर धार्मिक स्थलों पर ताला लगा दिया जाए तो पंडे-पुजारियों का पेशा समाप्त हो जाए। हालांकि यह तो असंभव है, तो फ़िर उनकी रोज़ी-रोटी कहां से चलेगी।

बढते विज्ञान के इस युग में पता नहीं कि हम कभी पूर्ण रूप से इन अंधविश्वासों को खत्म कर पाएंगे या नहीं। इस तरह के अंधविश्वास में रहकर हम कैसे विकास कर पाऐंगे। यदि हम तकनीकी विकास कर भी रहे हैं तो मानसिक विकास कैसे हो सकता है? हमारी मानसिकता तो अंधविश्वास में रहकर खो जाएगी। अगर हम अभी इसे बदलने का प्रयास न करे तो शिक्षित होकर भी अनपढ रहने के समान है। सही मायने में देखा जाय तो असली धर्म शांति और मानवता की रक्षा करना ही है।

धर्मांधता के शिकार केवल अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी बड़े पैमाने पर इस दल-दल में धंसे हुए हैं। टी वी चैनलों पर जहां तुरन्त देश-विदेश की खबरें प्रसारित होती हैं। वहीं तुरंत धर्मांधता फ़ैलातें बाबाओं का प्रवचन शुरू हो जाता है। ये बाबें प्रवचन के अलावा जनता को ठगने के लिये तरह-तरह की सामग्रीयां भी बेचते हैं।

-दीपिका झा,
शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल

मैट्रो अस्पताल: श्रमिकों को डराने पुलिस भी उतरी

फ़रीदाबाद (म.मो.) अस्पताल प्रबन्धन द्वारा काम से 2 माह पूर्व निकाले गये 34 कामगार (महिला व पुरुष) दिनांक 16 मार्च को जब अस्पताल गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो अस्पताल के बाऊंसरों के अतिरिक्त भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। पहले स्थानीय पुलिस जीपों में भर-भर का आई। उसके बाद एक बस में भरकर भी 20-25 जवान लाये गये। बेशक कामगारों का घोषित कार्यक्रम अस्पताल गेट पर केवल एक-दो घंटे का धरना, प्रदर्शन व नारेबाज़ी करने का ही था, लेकिन इसका भी खौफ़ इतना रहा जो इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल इस व्यवस्था में पुलिस बल होता ही मुनाफ़ाखोरों, शोषकों व लुटेरों की रक्षा के लिये है न कि जनसाधारण की सुरक्षा के लिये। इतना ही नहीं इन कारगारों में दहशत पैदा करने के लिये डी सी पी (पुलिस उपायुक्त) कार्यालय ने सीआर. पी. सी. की धारा 107-150 के सम्मन जारी करके इन्हें 16 मार्च को 10 बजे तलब किया गया था ताकि ये लोग प्रदर्शन न कर सकें। लेकिन सम्मनों की परवाह न करते हुए इन्होंने प्रदर्शन किया। चार दिन बाद फ़िर से आये सम्मनों पर सभी कामगार सेक्टर 12 स्थित डी सी पी कार्यालय पहुंच गये। वहां इन्हें अमन व शान्ति बनाये रखने की जमानत भरने को कहा गया। कामगारों ने साफ़ कह दिया कि शान्ति को अगर कोई ख़तरा है तो प्रबन्धन एवं उसके बाऊंसरों से है; इस लिये जमानत उनसे भरवाओ। पुलिस द्वारा जब उन्हें जेल भेजने की धमकी भी काम न आई तो 3-4 घंटे के बाद सब को छोड़ दिया गया।

चन्द बरसों पहले एस्कॉर्टस अस्पताल में नौकरी करने वाले डॉ. श्याम सुन्दर बंसल ने आज जो हज़ारों करोड़ का अस्पताल खड़ा किया है वह जनता की लूट व कामगारों के शोषण का ही परिणाम है। काम से निकाले गये उक्त मज़दूर गत दो से छ: वर्ष पुराने हैं। डॉ. बंसल की परेशानी केवल इतनी है कि आज इनका वेतन दस से 13 हज़ार तक हो गया है, जबकि बेरोज़गारी के चलते इसी तरह के कामगार पांच से सात हज़ार में उपलब्ध हैं, वे भी ठेकेदारी में। मजे की बात यह है कि इन कामगारों के काम से प्रबन्धन को कभी कोई शिकायत नहीं रही।

ठेकेदारी में सस्ते कामगारों के लालच में प्रबन्धन ने पहले तो इन्हीं कामगारों को इस्तीफ़ा देकर ठेकेदारी में आने को कहा; लेकिन जब ये नहीं माने तो इन्हें मार-पीट कर बाहर निकाल दिया और ठेकेदारी में नई भर्ती कर ली। श्रम विभाग में शिकायत की गयी तो वहां तारीख पर तारीख मिलने के सिवाय कुछ नहीं मिला।

अन्त में प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए एस्कॉर्ट यूनियन के पूर्व प्रधान एवं हिन्दमज़दूर सभा के राष्ट्रीय नेता एस डी त्यागी ने कहा कि जो अस्पताल अपने कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं कर सकता वह अपने मरीज़ों के साथ क्या मानवीयता करेगा। इनका तो एक ही उद्देश्य है लूट-इधर से भी और उधर से भी। इसलिये शहरवासियों को ऐसे अमानवीय अस्पताल में आना ही नहीं चाहिये।

इम्पीरियल आटो: ठेका प्रथा, मेहनत की लूट और तरक्की की मिसाल

इम्पीरियल ऑटो की शुरूआत सन् 1969 में एक छोटी सी वर्कशॉप से हुई थी। इसके मालिक जगजीत सिंह और श्याम बिहारी सरदाना हैं। 31 मार्च, 1998 तक यह पार्टनरशिप कंपनी में चलने वाली प्राइवेट और अप्रैल, 1998 से यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गयी। एक वर्कशॉप से शुरू होकर एक बड़े उद्योग का रूप बन चुकी है। फ़रीदाबाद में इसके 16 प्लांट है और रुद्रपुर, लखनऊ, जमशेदपुर, पुणे, चेन्नई, गुजरात में भी प्लांट हैं। अमेरिका और यूरोप में इसके वेयर हाउस है जहां से अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को सप्लाई होती है। श्यामबिहारी सरदाना का रतन टाटा के साथ खिंचा हुआ फ़ोटो कई प्लांटों में लगा हुआ है। शायद रतन टाटा इनके आदर्श होंगे।

नाममात्र के स्थायी मज़दूर: फ़रीदाबाद के 16 प्लांटों में नाम मात्र के स्थायी मज़दूर हैं। ये 16 प्लांट फ़रीदाबाद के पूरे शहर में फैले हुए हैं। बदरपुर बार्डर, ओल्ड फ़रीदाबाद, सेक्टर-25, पृथला, ओल्ड फ़रीदाबाद, रेलवे स्टेशन के पास वाले प्लांट में ही कुछ स्थायी मज़दूर बचे हैं।

ठेकेदारी के मज़दूर : सभी प्लांटों में ठेका प्रथा के तहत मज़दूर भर्ती हैं। जब मर्जी रखे व जब मर्जी निकाल दिये जाते हैं। किसी भी प्लांट में एक ठेकेदार के तहत नहीं बल्कि 5-6 ठेकेदार के तहत रखे जाते हैं। ताकि भविष्य में मज़दूर अपने शोषण के खिलाफ़ एकजुट न हो जायं। इसलिए हर प्लांट में 5-6 ठेकेदार द्वारा मैन पावर सप्लाई किया जाता है। किसी भी महीने के अंत में अगले महीने का आर्डर पता चल जाता है। उसी के अनुसार भर्ती व ब्रेक होते रहते हैं। इस समय तो ऑटो सेक्टर में मंदी की वजह से कई प्लांट में सैंकड़ों मज़दूर निकाल दिये गये हैं। कुछ मज़दूर 8-10 साल से काम कर रहे हैं। 6 महीने में या उससे पहले ब्रेक कर देने या ब्रेक दिखा देने से अर्थात रोल बदल देने से ठेकेदार, फैक्टरी और सरकारी विभागों में जैसे ई.एस.आई.,पी.एफ. लेबर डिर्पाटमेंट, लेबर कोर्ट सभी को फ़ायदा ही फ़ायदा है।

ठेकेदार और फैक्टरी को यह फ़ायदा होता है कि मज़दूर कई सालों से काम करने के बाद भी नया बना रहता है और कोई भी क़ानूनी अधिकार हासिल नहीं कर पाता है। ई.एस.आई. की लगातार किस्त जमा होने पर ही मज़दूर सारी सुविधाओं का हक़दार होगा। ई.एस.आई. कारपोरेशन यह कहता है कि चाहे वह ठेके का मज़दूर क्यों न हो उसका ई.एस. आई. अंशदान पहले दिन से कटना चाहिये। तो सवाल उठता है उसकी हकदारी 6 महीने के बाद क्यों? 6 महीने में ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक दिया जाता है या ब्रेक दिखा दिया जाता है या रोल बदल लेने से मज़दूर का स्थायी मज़दूर के समान ही कटौती कराने के बावजूद लाभ नहीं उठा पाते हैं। इम्पीरियल ऑटो में 800 के करीब स्टाफ़ व 8000 ठेकेदारी मज़दूर कार्यरत हैं। 8000 मज़दूर के फैक्टरी में कार्य करने के कारण 90 लाख से ज्यादा पी.एफ़ विभाग को, 14 लाख से ज्यादा ई.एस.आई., 50,000 के लगभग वेलफ़ेयर फण्ड और 40 लाख के करीब ठेकेदार को मिलता है जो 15-20 ठेकेदारों में बंट जाता है। 2011 में वेलफेयर फंड ने हर फैक्टरी गेट पर बड़े-बड़े बैनर लगाये जिसमें मज़दूरों के लिये बहुत सारी स्कीमें थीं। इसमें से एक स्कीम साइकिल की थी परन्तु 8000 मज़दूरों में से किसी को भी साइकिल नहीं मिली। ई.एस.आई. ने बुखार की गोलियों के सिवाय मज़दूरों को क्या दिया? श्रीजी श्रीश्याम, स्वामी सुपर, एलाइट, पारस माधव, पूजा, जी ओस, के.के. इत्यादि ये नाम हैं जो इम्पीरियल ऑटो को मैन पावर सप्लाई करते हैं। फैक्ट्री मज़दूरों को बिजली की पावर के समान मैन पावर से ज्यादा कुछ नहीं समझती। बोर्ड द्वारा सप्लाई बंद होने पर फैक्टरी जनरेटर चलाकर पावर प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार एक मज़दूर के न आने पर दूसरा मज़दूर भर्ती कर लेती है। पी.एफ़ का पैसा निकालने के लिये हर मज़दूर परेशान हो जाता है। पता चलता है कि ठेकेदार ने पी.एफ. का पैसा आर्गेनाईजेशन को जमा ही नहीं किया है। तीन-चार महीने का जमा किया है एक या दो महीने का फंड तो मज़दूर निकालता ही नहीं है। पहले से मज़दूर ठेकेदार के ईमान का भरोसा नहीं करता है और छोड़ देता है। ठेकेदारों के शरीर पर चढ़ी चर्बी और गाड़ी का मॉडल बता सकता है कि उसके लिए इस मामूली रकम ने क्या किया।

यही कारण है कि ठेकेदारी के मज़दूर न तो फंड कटवाना चाहता है न ही ई.एस.आई.। पी. एफ़. व ई.एस.आई. की सुविधा स्थायी मज़दूर व स्टाफ़ उठा पाते हैं। ठेका प्रथा मज़दूरों के लिये अभिशाप है तो फैक्टरी, ठेकेदार, पी.एफ. ई.एस.आई., लेबर वेलफेयर और सरकारी खजाने को भरने की कुंजी है।

इम्पीरियल ऑटो की नीति हर काम ठेके पर कराओ:

यहां हर काम ठेके पर कराया जाता है। उसमें से अधिकांश प्रोसेस को इम्पीरियल ऑटो छोटे-छोटे वर्कशॉप में कराती है। इससे उसे फैक्टरी एक्ट व श्रम कानूनों से मुक्ति प्राप्त होती है। फैक्टरी में हर समय माल आता-जाता रहता है। एक प्रोसेस होकर आता है तो दूसरा प्रोसेस के लिये जाता है। वास्तव में प्रोडक्शन फैक्टरी के दीवारों के भीतर न होकर पूरे ज़िले भर में होता है। फैक्टरी तो वह स्थान है जहां माल तैयार होकर लगभग चैकिंग के लिए आता है और पैकिंग करके कस्टमर को भेज दिया जाता है।

ऐसा नहीं है कि सारे प्रोसेस वही होते हैं। फैक्टरी में जो प्रोसेस किये जाते हैं वह कुल प्रोडक्शन का मात्र 20 प्रतिशत होता है। फैक्टरी के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे ठेके पर कराया जाता है। प्रत्येक प्रोसेस का ठेका पीस रेट पर दिया जाता है। ठेकेदार अपने मज़दूर रखकर काम करवाता है। जैसे कटिंग का ठेका, बैल्डिंग का ठेका अलग। फैक्टरी के कई स्थाई मज़दूरों ने अपने यूनियन के नेताओं से ये ठेका लिया हुआ है। ज्यादातर ऐसे हैं जो पहले स्थायी मज़दूर थे अब ठेकेदार बन गये हैं। ठेकेदारी के मज़दूरों से काम फैक्टरी के स्टाफ़ द्वारा कराया जाता है। इम्पीरियल ऑटो की नीति है कि हर काम ठेके पर कराओ चाहे फैक्टरी के भीतर मशीनें शिफ़्ट करना हो। माल को फैक्टरी और वर्कशॉप का एक प्लांट से दूसरे प्लांट ले जाने के लिये गाड़ियों का भी ठेका, प्लांट को साफ रखने के लिये सफ़ाई का ठेका इसके उदाहरण हैं।

ड्यूटी पर हर वक्त, हर काम अर्जेंट:

सुबह ड्यूटी जाते ही पर्सनल विभाग व सिक्योरिटी के हर आदमी वर्कर को देखते हैं कि जूता, वर्दी पहना है कि नहीं। नीली कलर टी-शर्ट ठेकेदार द्वारा 200 रुपये में दिया जाता है जो ठेकेदार पहली तनख्वाह में काट लेता है। जूता बाजार से लेना पड़ता है। जूता वर्दी होने पर ही गेट के अंदर आना पड़ता है। लगभग 12 घंटे की ड्यूटी में हर काम अति आवश्यक होता है। रात की शिफ्ट में काम बताकर स्टाफ़ अपने घर चला जाता है। हर लाइन में एक फ़ोरमैन होता है जिसका काम करना होता है जो उसके 500-600 रुपये बढाकर तनख्वाह होती है। वह खुद काम करेगा व दूसरे मज़दूरों को देखेगा कि कौन काम करता है कि कौन नहीं। कितने बार बाथरूम, टायलेट जाता है। उसके बाद सुपरवाइजर व इंजीनियर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है।

ओवर टाइम का भुगतान-ओवर टाइम का भुगतान न्यूनतम वेतन 5648 रुपये के अनुसार दोगुना 47 रुपये प्रति घंटे की दर से बनता है। यहां तो सिंगल ओवर टाइम 23 रुपये प्रति घंटे की दर से भी नहीं मिलता है। हर प्लांट में ठेके के मज़दूर को 16-17 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम दिया जाता है। रात में रुकने पर 50 रुपये फूडिंग का पैसा मिलता है वह भी शाम को नहीं मिलता है। एक-दो हफ्ते बाद दिया जाता है वह भी ठेकेदार या स्थायी मज़दूरो द्वारा दिया जाता है। इससे ये लोग कुछ पैसा तो मार ही देते हैं।

इम्पीरियल ऑटो के ठेकेदारी मज़दूर 8 घंटे से ज्यादा या ओवर टाइम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ओवर टाइम का भुगतान डबल तो छोड़ सिंगल से आधे दर से होता है। जोर-जबरदस्ती ओवर टाइम पर रोकना, ये कहना कल से मत आना, प्रबंधन द्वारा हर समय ओवर टाइम के लिये दबाव बनाया जाता है। ओल्ड फ़रीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास वाले प्लांट में कैंटीन है जहां 25 रुपये थाली व 5 रुपये की चाय मिलती है। किसी भी प्लांट में न कैंटीन है न ही लंच करने की कोई जगह है। कार्यस्थल पर इधर-उधर लंच करना पड़ता है। यह बेहद असुविधाजनक और अपमानजनक भी होता है।

इम्पीरियल ऑटो का मिशन है कि यह भारतीय बाजार में ऑटोमोटिव ट्यूब एवं हौज उद्योग में अविवादित लीडिंग कंपनी बनना चाहती है। मज़दूरों के शोषण पर भारत से होकर विदेशों में कंपनी व वेयर हाउस होना इसके उदाहरण हैं। ठेका प्रथा के तहत काम करना मज़दूरों के श्रम कानून को लागू न करना, ये सब सरकार व पूंजीपति के गठजोड़ से हो रहा है। अपनी लड़ाई मज़दूर को खुद ही लड़नी होगी। फैक्टरी मालिक के खिलाफ़ से लेकर पूंजीपतियों के राज को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ना होगा। जिसका सपना भगत सिंह देखा करते थे। जब तक शोषण व अन्याय पर टिकी भ्रष्ट व्यवस्था बनी रहेगी, उसके विरुद्ध लड़ाई को तेज करना होगा। मज़दूर वर्ग के कंधे पर है कि वह आगे आये और संघर्ष के लिए उठ खड़े हों।

-एक मज़दूर

ईसाई समाज पर सरकारी अत्याचार

बल्लबगढ (म.मो.) 6 मार्च 2015 को पाली गांव में ईसाई समाज के साथ जो घटना घटी है, जिसमें बहुत से लोग़ों को गंभीर चोटें आई है। कितनों को अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा, बहुत से वाहनों को तोड़ दिया और ईसाई समाज को अपमानित होकर, अपने परिजनों की लाश लेकर वहां से वापस लौटना पड़ा जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इस घटना से फ़रीदाबाद के ईसाई समाज को बहुत बड़ा धक्का लगा है।

यह घटना टाली जा सकती थी, अगर समय रहते सरकार व ज़िला प्रशासन ने समस्या को सही गंभीरता से लिया होता। 16 जनवरी 2013 को ज़मीन अलॉट की गयी थी और 17 मई, 2013 को इसकी निशानदेही हो चुकी थी तब से लेकर ईसाई समाज निरंतर ज़िला प्रशासन व हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखता रहा कि यह मामला शांति और सुरक्षापूर्ण सुलझाया जाये । हमारी अफ़सरशाही सरकार के ऊपर भारी रही ना तो कभी सरकार के आदेशानुसार प्रशासन ने इस विषय पर बुलाकर बात की कि कैसे इस विषय पर काम हो। इस तरह 2 साल बीत गये नगर निगम का जवाब होता कि आप पुलिस को लेकर काम चालू करो, पर कोई ठोस आश्वासन कभी किसी ने नहीं दिया। अब हमारे अच्छे से हंगामा व मारपीट के बाद पूरा प्रशासन कह रहा है कि यह गंभीर मुद्दा है और अब प्रशासन कह रहे हैं कि नाइनसाफ़ी नहीं होने देंगे। कितने डी सी और नगर निगम के कमिश्नर आये और गये पर किसी ने भी समस्या को हल करने में रूचि नहीं दिखायी। कौन है इस घटना के जिम्मेवार?